# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ........445/2022........ दिनांक........19.11.2022........
2. (1) अधिनियम पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018धाराऐं...................... 7 पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018

   (2) अधिनियम..............................................................धाराऐं ..........................................................................

   (3) अधिनियम..............................................................धाराऐं..........................................................................

   (4) अन्य अधिनियम एवं ........................................ धाराऐं ..........................................................................

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार दिनांक :– 18.11.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 17.11.2022 समय :– 02.45 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ............326..... समय.............5:00 P.M
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 50 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा
   बीट संख्या..................................................................जुरामदेही सं..............................................
   (ख) पता:– थाना भवानीमण्डी परिसर में दाहिनी और मैस के निकट स्थित अनुसंधान कक्ष (जिला झालावाड़)
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............जिला ...........
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री बसन्ती लाल
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री कनीराम जाति गुर्जर
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 38 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– गुर्जरों का खेड़ा (कुण्डीखेड़ा) तहसील पचपहाड़ थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0)।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मण्डावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 5,000 रूपये .............
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो )......................................................................................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.2022 समय 02.45 पी.एम. पर परिवादी श्री बसन्ती लाल पुत्र श्री कनीराम जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी गुर्जरों का खेड़ा (कुण्डीखेड़ा) तहसील पचपहाड़ थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री बसन्ती लाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके पिता श्री

कनीराम व फूलबाई पत्नि श्री कालूलाल गुर्जर के बीच चारागाह भूमि खसरा नम्बर 256 पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने सम्बन्धी मामले में सालगराम बनाम फूलबाई, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन् राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में धारा 225 आरटी एक्ट में केस चल रहा है। दिनांक 18.8.2022 को वह अपने व उसके परिजनो के विरूद्ध जमीन पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने वाले दुसरी पार्टी के व्यक्तियों द्वारा बार बार झूंठी शिकायतें कर बेवजह परेशान करने के कारण श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय तथा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय कोटा को शिकायत दर्ज कराने व कार्यवाही कराने के लिये प्रार्थी कोटा गया हुआ था। इसकी जानकारी जब कालूलाल गुर्जर को मिली तो उसने प्रार्थी के कोटा जाने पर पीछे से अपनी बेटी राजू गुर्जर से उसको देखकर गाना गाने व सीटी बजाकर उसके द्वारा परेशान करने की झूंठी शिकायत थाना भवानीमण्डी में दर्ज करवा दी। वह जब कोटा से अपने गांव गुर्जरों का खेड़ा आया तो उसको यह जानकारी मिली कि कालूलाल गुर्जर की बेटी राजू ने उसके खिलाफ झूंठी रिपोर्ट देकर थाना भवानीमण्डी में मुकद्मा नम्बर 369/2022 धारा 354 (घ) के अन्तर्गत दिनांक 18.8.2022 को दर्ज कराया है। इस मुकदमें की जांच पहले श्री ओम सिंह एएसआई साहब कर रहे थे फिर उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद इस केस की जांच श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब थाना भवानीमण्डी को दे दी गयी। श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब थाना भवानीमण्डी द्वारा उसको बार-बार थाने पर बुलाकर रिश्वत राशि लेने हेतु परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि साहब यह झूंठा केस है। इस पर श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब ने मुझसे केस में एफआर लगाने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि के मुझसे पहले ही ले लिये हैं, शेष 10 हजार रूपये रिश्वत राशि और मांग रहे हैं तथा उन्होने कहा है कि जिस दिन 10 हजार रूपये की व्यवस्था हो जाये तो थाने पर आ जाना। उसी दिन तुम्हारे केस में एफआर लगाकर सीओ साहब से एफ़आर के आदेश ले लूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री रघुराज सिंह एएसआई को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी श्री बसन्तीलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री बसन्तीलाल को आरोपी श्री रघुराज सिंह ए0एस0आई0 के पास थाना भवानीमण्डी में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.11.2022 समय 03:15 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री बसन्तीलाल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री रघुराजसिंह एएसआई के बारे में जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री पवन कुमार नं0 28 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री बसन्तीलाल की मोटरसाईकिल पर पीछे बैठाकर थाना भवानीमण्डी के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 17.11.2022 समय 06:10 पीएम पर परिवादी श्री बसन्तीलाल के साथ आरोपी श्री रघुराजसिंह एएसआई से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कराने हेतु निगरानी के लिये थाना भवानमण्डी भेजा गया श्री पवन कुमार कॉनि0 28 अकेला ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर पूछने पर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री बसन्तीलाल की मोटर साईकिल पर उसके पीछे बैठकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर थाना भवानमण्डी के नजदीक पहुंचने पर मैंने परिवादी श्री बसन्तीलाल को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी श्री रघुराजसिंह एएसआई के पास थाना भवानीमण्डी के लिये रिश्वत मांग वार्तालाप करने के लिये रवाना कर दिया था तथा तत्पश्चात् उसी जगह पर उसके लौटने का इन्तजार करने लगा। लगभग 15-20 मिनट पश्चात् परिवादी श्री बसन्तीलाल उसी जगह अपनी मोटर साईकिल से मेरे पास आया तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर मुझे सुपुर्द कर उसने बताया कि मुझे श्री रघुराजसिंह एएसआई थाने पर ही मिल गया था तथा मैंने मेरे विरूद्ध दर्ज छेड़छाड़ के मामले में उसके द्वारा जांच कर एफआर लगाने के सम्बन्ध में थाना भवानीमण्डी जाकर श्री रघुराजसिंह एएसआई से उनके कक्ष में रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप कर ली है। वार्तालाप के दौरान मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। वार्तालाप के दौरान ही श्री रघुराजसिंह ने मुझसे दो हजार रूपये रिश्वत राशि भी उस समय प्राप्त कर ली थी तथा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 18.11.2022 को शाम को थाना भवानीमण्डी पर ही मुझे बुलाया है। श्री रघुराजसिंह ने यह भी कहा है कि कल शाम को ही तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुए केस में एफआर के आदेश ले लूंगा। परिवादी श्री बसन्तीलाल ने कहा कि मुझे वापिस आपके साथ झालावाड़ चलकर पुनः भवानीमण्डी लौटने में रात्रि का समय हो जावेगा तथा मुझे रिश्वत राशि के पांच हजार रूपये की व्यवस्था भी करनी है अतः मैं सुबह 10 बजें करीब एसीबी चौकी झालावाड़ पर रिश्वत राशि के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर परिवादी श्री बसन्तीलाल को भवानीमण्डी से ही अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने व अन्य आवश्यक हिदायत देकर उसके गांव के लिये रूखसत करने के पश्चात् ही मैं किसी प्राईवेट कार वाले से लिफ्ट लेकर वापिस ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ उपस्थित आया हूँ। श्री पवन कुमार कॉनि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड

वार्तालाप के डिजिटल वाइस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 26 को सुपुर्द किया गया। आईन्दा परिवादी श्री बसन्तीलाल व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 17.11.2022 समय 06:20 पीएम पर परिवादी श्री बसन्तीलाल को आरोपी श्री रघुराजसिंह एएसआई ने दिनांक 18.11.2022 को रिश्वत राशि के 5000/–रूपये लेकर थाना भवानीमण्डी बुलाया है अतः दिनांक 18.11.2022 को की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु सहायक खनि अभियन्ता, खनि विभाग मिनि सचिवालय, झालावाड़ के नाम पत्रांक 1269 दिनांक 17.11.2022 मुर्तिब कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर दिनांक 18.11.2022 को प्रातः 10:30 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम, पदनाम व मोबाईल नम्बर अवगत कराने के लिए कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खनि विभाग मिनि सचिवालय, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। दिनांक 17.11.2022 समय 07:00 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झालावाड़ के श्री यशपाल चौहान पुत्र श्री ललित चौहान जाति जीनगर उम्र 35 साल निवासी रामसदन जैन मन्दिर की गली झालावाड़ हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झालावाड़ मो0नं0 9269795999 व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव पुत्र श्री कजोड़मल यादव जाति अहीर उम्र 35 वर्ष निवासी ढाणी पीली गांव गोपलपुरा पोस्ट जुगराजपुरा थाना अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कनिष्ठ मानचित्रकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झालावाड़ मो0नं0 9414379767 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 4215 दिनांक 17.11.2022 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 10.30 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान कनिष्ठ लेखाकार व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव कनिष्ठ मानचित्रकार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 10:40 एएम पर परिवादी श्री बसन्ती लाल ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 5,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार आज रिश्वत राशि लेकर बुलाया है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान हाल कनिष्ठ लेखाकार व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव हाल कनिष्ठ मानचित्रकार, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री बसन्ती लाल का दिनांक 17.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही मे सहयोग हेतु सहमति प्राप्त की गई। दिनांक 18.11.2022 समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री बसन्ती लाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना मे रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री बसन्ती लाल व आरोपी श्री रघुराज सिंह सहायक उप निरीक्षक के मध्य आपस में हुई सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी श्री बसन्ती लाल से उसके मुकदमें में पांच हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर आज शाम को थाना भवानीमण्डी बुलाने व आरोपी श्री रघुराजसिंह द्वारा आज शाम को ही परिवादी के खिलाफ दर्ज हुए केस में एफआर के आदेश लेने हेतु कहने की पुष्टि हुई है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 17.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बसन्ती लाल के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री बसन्ती लाल ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.11.2022 समय 01:00 पीएम पर परिवादी श्री बसन्ती लाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव के समक्ष अपने पास से 5,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 10 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 5,000/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री यशपाल चौहान से परिवादी श्री बसन्ती लाल की

जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री बसन्ती लाल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री रघुराज सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव एवं परिवादी श्री बसन्ती लाल को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री बसन्ती लाल को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द हाजा मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान समस्त ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 18.11.2022 समय 02:00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब पुलिस थाना भवानीमण्डी की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे आगे परिवादी श्री बसन्ती लाल को उसकी स्वय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। दिनांक 18.11.2022 समय 03:20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के सरकारी व प्राईवेट वाहन से पूर्व निर्धारित स्थान पुलिस थाना भवानीमण्डी के नजदीक पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री बसन्ती लाल मौजूद मिला जिसे पुनः समझाईश कर उसकी मोटर साईकिल से पुलिस थाना भवानीमण्डी के अन्दर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सहित सरकारी व निजी वाहन में से उतर वाहनों को बाहर ही खड़ा कर परिवादी के पिछे–पिछे पुलिस थाना भवानीमण्डी परिसर में दाहिनी और स्थित नीम के पेड़ों के नीचे पहुंचे तथा थाना परिसर में ही अलर्ट रहकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी द्वारा आरोपी को रिश्वत राशि देने के ईशारे का इन्तजार करने लगे। दिनांक 18.11.2022 समय 03:40 पीएम पर परिवादी श्री बसन्ती लाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को थाना भवन में दाहिनी तरफ संचालित मैस दीवार के पास से बाहर आकर आरोपी को रिश्वत देने का पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री बसन्ती लाल के पास पहुंचा तथा पूर्व में परिवादी को रिश्वत लेन–देन वार्तालाप करने के लिए सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में

लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री बसन्ती लाल से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने व रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि आरोपी एएसआई साहब ने मुझसे अभी–अभी मेरे खिलाफ दर्ज केस में एफआर देने की एवज में 5,000रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी पहनी हुई गर्म वर्दी की शर्ट की सामने वाली दाहिनी जेब में रख लिये है तथा वह मैस अहाते के अन्दर बने हुए अपने कमरे में बैठकर राजकार्य कर रहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री बसन्ती लाल का साथ लेकर उसके पिछे–पिछे मैस की दीवार के बीच बने रास्ते में से प्रवेश कर अन्दर अहाते में पहुंचा तो परिवादी ने सामने सफेद रंग के लोहे के गेट लगे कमरे की और ईशारा कर बताया कि आरोपी इसी कमरे के अन्दर बैठा हुआ राजकार्य कर रहा है। इस पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को साथ लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कमरे में प्रवेश किया तो वहां पर खाकी रंग की पेन्ट व गर्म वर्दी वाली शर्ट पहने कुर्सी पर बैठे गौरे से व्यक्ति, जिसकी वर्दी की शर्ट के सामने वाली दाहिनी जेब के उपर रघुराज सिंह नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी, उसकी और ईशारा कर बताया कि साहब यही, श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब है, जिन्होने अभी–अभी मुझसे मेरे विरूद्ध दर्ज केस में एफआर लगाने की एवज में 5,000रूपये की रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर अपनी वर्दी की शर्ट की सामने वाली दाहिनी जेब के अन्दर रखी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह घबराकर कुर्सी से खड़े हो गये जिस पर आरोपी का दाहिना हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 425 से तथा बायां हाथ श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 से कलाई से उपर पकड़वाया जाकर तसल्ली देकर पुनः कुर्सी पर बैठाया गया तथा उनके द्वारा पानी मांगने पर उसे पानी पिलाकर शांत कर उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मण्डावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री बसन्ती लाल से ली गयी 5,000रूपये की रिश्वत राशि बाबत् आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई से पूछा गया कि यह रिश्वत राशि आपने क्यों व किस उद्देश्य के लिए ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया कि मेरे द्वारा परिवादी श्री बसन्ती लाल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 369/2022 धारा 354घ भारतीय दण्ड संहिता की पत्रावली का अनुसंधान किया जा रहा था। इस सम्बंध में वह मुझसे बार–बार एफआर लगवाने हेतु सम्पर्क कर रहा था कि मेरे केस में एफआर लगा दो मैं आपको राजीखुशी ईनाम के रूप में 15,000रूपये की राशि दे दूंगा। इस पर उसने मुझे एक बार 5,000रूपये तथा कल दिनांक 17.11.2022 को 2,000रूपये दिये थे तथा आज मुझे 5,000रूपये दिये है, जो मेरी गर्म वर्दी की सामने वाली दाहिनी जेब में रखे है। मैंने कभी भी श्री बसन्ती लाल से कोई रिश्वत राशि की मांग नही की है। मैंने उसके केस में दिनांक 14.11.2022 को ही एफआर के आदेश श्रीमान सीओ साहब से प्राप्त कर लिये है। मैंने ईनाम की राशि समझकर यह रूपये रख लिये थे। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री बसन्ती लाल ने खण्डन करते हुए बताया कि श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब झूठ बोल रहे है। मैंने इनको कोई खर्चा पानी या ईनाम स्वरूप अपनी मर्जी से रूपये नही दिये है। इनके द्वारा मुझसे मेरे खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमें में एफआर देने की एवज में मुझसे 15,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी जिस पर मैंने 5,000रूपये रिश्वत राशि इनको पहले ही दे दी है। उसके बाद भी शेष रिश्वत राशि के 10,000रूपये के लिए इनके द्वारा मुझे बार–बार परेशान करने पर मैंने दिनांक 17.11.2022 को आपके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कराने की शिकायत दर्ज करायी थी, जिस पर आपने उसी रोज कार्यवाही करते हुए मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर मेरे साथ श्री पवन कुमार कानि0 को थाना भवानीमण्डी आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई से रिश्वत मांग वार्तालाप करने हेतु भिजवाया था। मेरे द्वारा थाना भवानीमण्डी आकर इनसे मेरे केस में एफआर दिलवाने की एवज में रिश्वत राशि मांगने के सम्बंध में बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली थी। उस दिन भी एएसआई साहब द्वारा मुझसे 2,000रूपये रिश्वत राशि ले ली थी तथा कहां कि 5,000रूपये रिश्वत राशि लेकर कल थाने पर आ जाना। तेरे केस में उसी रोज एफआर लगवा दूंगा। इस पर आज इन्होने मुझसे अभी–अभी थोड़ी देर पहले 5,000रूपये रिश्वत राशि लेने पर आपकी टीम ने इनको ट्रेप कर लिया है। इनके द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद मैंने मैस की दीवार के बाहर आकर रिश्वत राशि लेने का ईशारा कर दिया था। फिर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासो में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल मे आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मोके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1, आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया

गया। फिर गवाह श्री यशपाल चौहान को आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई की पहनी गर्म वर्दी की शर्ट की सामने वाली दायीं जेब की तलाशी लेने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा जेब की तलाशी में 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई पेश की। जिनकी गिनती करने पर 500–500रूपये के 10 नोट कुल राशि 5,000रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलाने करने पर दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के हुबहु रिश्वत राशि वाले 500–500रूपये के 10 नोट कुल 5,000रूपये होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 9HN 222462 |
| 2 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 5RH 423662 |
| 3 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 6UK 970258 |
| 4 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 1DT 566858 |
| 5 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 2RN 916254 |
| 6 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 9BW 007275 |
| 7 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 4CA 898702 |
| 8 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 8SV 785329 |
| 9 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 3DE 218127 |
| 10 | एक नोट 500/–रूपये का नम्बर | 8VF 546652 |

उक्त बरामद नोटों को कागज में मौके पर ही सील–मोहर चिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त रिश्वत राशि के बरामद नोटों के अलावा आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के पास जामा तलाशी में अन्य कोई महत्वपूर्ण वस्तु/नकदी/दस्तावेज नही मिले, जिन्हे बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई को पहनने हेतु दूसरी शर्ट मंगवाकर पहनवाकर रिश्वत राशि रखी हुई गर्म वर्दी की शर्ट की सामने वाली दाहिने जेब की धुलाई हेतु एक कांच के साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर आरोपी की पहनी हुई गर्म वर्दी की शर्ट की सामने वाली दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का एस–1, एस–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। गर्म वर्दी की शर्ट की जेब की धुलाई के पश्चात पंखे की हवा में सुखाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कपडे की थेली मे रखकर सील चिट करवाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा जब्त शुदा गर्म वर्दी की शर्ट के शील्ड शुदा पैकेट को जब्त कर मार्क–एस अंकित किया गया। परिवादी श्री बसन्ती लाल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 369/2022 धारा 354घ भारतीय दण्ड संहिता की पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.11.2022 समय 05:45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बसन्ती लाल के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 06:00 पीएम पर आरोपी श्री रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मण्डावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री यशपाल चौहान से लिवायी जाकर रूबरू गवाहन श्री यशपाल चौहान एवं श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव के समक्ष आरोपी को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के, गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री रघुराज सिंह की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार श्री रामनारायण थानाधिकारी पुलिस थाना भवानीमण्डी को दी गयी। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.11.2022 समय 06:15 पीएम पर आरोपी श्री रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मण्डावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव के समक्ष, आरोपी को आगाह कर बताया गया कि दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री बसन्ती लाल द्वारा पुलिस थाना भवानीमण्डी परिसर में आपसे रिश्वत मांग सत्यापन के समय तथा दिनांक 18.11.2022 को थाना परिसर में वक्त रिश्वत लेन देन के समय परिवादी श्री बसन्ती लाल से आपकी वार्ता हुई थी, उन दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री बसन्ती लाल द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री रघुराज सिंह ने फर्द पर ही स्वय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 06:30 पीएम पर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के पुलिस थाना भवानीमण्डी परिसर में ही दाहिनी और मैस के निकट स्थित अनुसंधान कक्ष व आवास की दोनों स्वतंत्र गवाहान

व आरोपी की मौजूदगी में नियमानुसार खाना तलाशी ली गयी तो खाना तलाशी के दौरान कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूषण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त किये गये। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.11.2022 समय 07:00 पीएम पर सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ के सदस्य तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा रिकॉर्ड व आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 5,000रूपये तथा धोवन के सेम्पल आरएच–1, आरएच–2, एलएच–1, एलएच–2, एस–1, एस–2, व गर्म वर्दी की शर्ट का शील्ड शुदा पैकेट मार्क–एस आदि को साथ लेकर मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री बसन्ती लाल को उसकी मोटर साईकिल से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 18.11.2022 समय 08:00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपी एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 18.11.2022 समय 08:05 पीएम पर परिवादी श्री बसन्ती लाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री बसन्ती लाल को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री बसन्ती लाल ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 18.11.2022 समय 08:40 पीएम पर दिनांक 17.11.2022 को परिवादी श्री बसन्ती लाल व आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.11.2022 को समय 11.00 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 18.11.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री बसन्ती लाल व आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 18.11.2022 को समय 08.05 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री रघुवीर सिंह एएसआई के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीनों सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 18.11.2022 समय 09:05 पीएम पर कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने के कारण गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 व श्री देवदान सिंह कानि0 425 के साथ सरकारी बोलेरो वाहन से रवाना किया गया तथा परिवादी श्री बसन्ती लाल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री यशपाल चौहान व श्री श्रीकृष्ण कुमार यादव को सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 18.11.2022 समय 09:30 पीएम पर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 व श्री देवदान सिंह कानि0 425 कार्यालय में हाजिर आये।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री बसन्ती लाल पुत्र श्री कनीराम जाति गुर्जर उम्र 38 वर्ष निवासी गुर्जरों का खेड़ा (कुण्डीखेड़ा) तहसील पचपहाड़ थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री बसन्ती लाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके पिता श्री कनीराम व फूलबाई पत्नि श्री कालूलाल गुर्जर के बीच चारागाह भूमि खसरा नम्बर 256 पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा करने सम्बन्धी मामले में सालगराम बनाम फूलबाई, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन् राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में धारा 225 आरटी एक्ट में केस चल रहा है। दिनांक 18.8.2022 को वह अपने व उसके परिजनो के विरूद्ध जमीन पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण करने वाले दुसरी पार्टी के व्यक्तियों द्वारा बार बार झूंठी शिकायतें कर बेवजह परेशान करने के कारण श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय तथा श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय कोटा को शिकायत दर्ज कराने व कार्यवाही कराने के लिये प्रार्थी कोटा गया हुआ था। इसकी जानकारी जब कालूलाल गुर्जर को मिली तो उसने प्रार्थी के कोटा जाने पर पीछे से अपनी बेटी राजू गुर्जर से उसको देखकर गाना

गाने व सीटी बजाकर उसके द्वारा परेशान करने की झूंठी शिकायत थाना भवानीमण्डी में दर्ज करवा दी। वह जब कोटा से अपने गांव गुर्जरों का खेड़ा आया तो उसको यह जानकारी मिली कि कालूलाल गुर्जर की बेटी राजू ने उसके खिलाफ झूंठी रिपोर्ट देकर थाना भवानीमण्डी में मुकद्मा नम्बर 369/2022 धारा 354घ के अन्तर्गत दिनांक 18.8.2022 को दर्ज कराया है। इस मुकदमें की जांच पहले श्री ओम सिंह एएसआई साहब कर रहे थे फिर उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद इस केस की जांच श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब थाना भवानीमण्डी को दे दी गयी। श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब थाना भवानीमण्डी द्वारा उसको बार–बार थाने पर बुलाकर रिश्वत राशि लेने हेतु परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि साहब यह झूंठा केस है। इस पर श्री रघुराज सिंह एएसआई साहब ने मुझसे केस में एफआर लगाने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा पांच हजार रूपये रिश्वत राशि के मुझसे पहले ही ले लिये हैं, शेष 10 हजार रूपये रिश्वत राशि और मांग रहे हैं तथा उन्होने कहा है कि जिस दिन 10 हजार रूपये की व्यवस्था हो जाये तो थाने पर आ जाना। उसी दिन तुम्हारे केस में एफआर लगाकर सीओ साहब से एफआर के आदेश ले लूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री रघुराज सिंह एएसआई को 10 हजार रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी श्री बसन्तीलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7 की परिधि में पाये जाने पर उसी दिन दिनांक 17.11.2022 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्यों की पुष्टि हुई इस पर दिनांक 18.11.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन कर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई को रंग हाथों गिरफ्तार किया गया। हालात इस प्रकार रहे कि आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई द्वारा परिवादी श्री बसन्ती लाल से उसके विरूद्ध थाना भवानीमण्डी में दर्ज प्रकरण संख्या 369/2022 धारा 354(घ) दिनांक 18.08.2022 के प्रकरण में एफआर देने की एवज में 15,000रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व परिवादी श्री बसन्ती लाल से पूर्व में 5,000रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 10,000रूपये नही देने पर परिवादी को परेशान करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 17.11.2022 को ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 2,000रूपये रिश्वत राशि और प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि की एवज में 5,000रूपये लेकर आरोपी द्वारा दिनांक 18.11.2022 को थाना भवानीमण्डी पर परिवादी को बुलाने की दशा में पुलिस थाना भवानीमण्डी परिसर में दाहिनी और मैस के निकट स्थित अनुसंधान कक्ष में आरोपी द्वारा रिश्वत राशि के 5,000रूपये मांग कर प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी की गर्म शर्ट की दाहिनी और की जेब में रखना जहां से रिश्वत राशि के 5,000रूपये तथा प्रकरण संख्या 369/2022 की मूल पत्रावली भी आरोपी के कब्जे से बरामद होना पाया गया। आरोपी के उक्त कृत्य पर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के हाथों का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाब व मटमेला प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया, तो उसने अपने प्रतिउत्तर में स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में देना तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.11.2022 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 18.11.2022 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आदि से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रघुराज सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल निवासी पटपड़िया थाना मण्डावर जिला झालावाड़ हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर आरोपी श्री रघुराज सिंह एएसआई के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को सादर प्रेषित है।

भवदीय;

( भवानी शंकर मीणा )
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रघुराज सिंह, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 445/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.11.2022

(डॉ. विष्णु कान्त)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3852-55 दिनांक 19.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड़।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।